//आदेश//

आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित चयनित उम्मीदवार को जिला/वाहिनी संवर्ग में आरक्षक (जीडी)के पद पर छठवें वेतनमान में रूपयें 5200-20200/- ग्रेड पे 1900 (7वें वेतनमान में निर्धारित मेट्रिक्स 19500-62000 के अनुसार) तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्तेतथा अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परीवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

स.क्र.	रोल न.	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म दिनांक	जाति सवर्ग/ आवंटित सवर्ग	स्थाई/पत्राचार का पता
1	23720876	मनोज कुमार पटेल	श्री सीताराम पटेल	28.06.1994	अ.पि.व/ अ.पि.व.	सैनी जी का बगीचा, गोपालगंज सागर (म.प्र.)470002

2. मध्यप्रदेश शासकीय अस्थाई एवं अर्द्धशासकीय एवं अस्थाई सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी की सेवा किसी भी समय विभाग द्वारा अथवा अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते अथवा ऐसी अवधि के वेतन भत्ते जिससे एक माह की नोटिस अवधि कम पड़ती हो, जमा कराकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह का नोटिस अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर, नोटिस अवधि या उस अवधि में कम पड़ती अवधि के नोटिस वेतन की राशि उससे भू-राजस्व की बकाया राशि के समान वसूल की जावेगी।

3. मध्यप्रदेश शासन कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन क्रमाक सा-3/821/49 दिनाक 27.02.88 के अनुसार यदि चयन के उपरांत उम्मीदवार द्वारा उसकी अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी गलत पाई गई, तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

4. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ-7/26/93-1/आर.प्रकों. दिनांक 08.03.1994 द्वारा प्रसारित रोस्टर नियमों का पालन किया गया है।

5. उम्मीदवार की नियुक्ति इस सशर्त पर की जाती है। कि यदि तस्दीक करने पर उनके चरित्र सत्यापन/मेडिकल जांच एवं अन्य प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाये गये या अन्य कोई कारण जो शासकीय सेवा के लिये बाधक हो तो तत्काल सेवामुक्त कर दिया जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।

6. म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003 नियम 4 दिनांक 12.04.2005 एवं क्रमांक /एफ 9/डी/2003/नियम 4 दिनांक 02.07.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

7. अभ्यर्थी के दो से अधिक जीवित बच्चे होने का प्रमाण मिलता है, जिनमें 01 का जन्म 26.01.2001 या उसे पश्चात् हो तो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, उसकी सेवायें समाप्त समझी जावेगी तथा आवेदन पत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

8. चयनित उम्मीदवार की वरिष्ठता का निर्धारण चयन की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जावेगा, न कि उपरोक्त आदेश के आधार पर।

4682 30/05/18

पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट
दतिया (म.प्र.)

1